

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई०ए०एस०
राजस्व अपील सं० 18/2020



1. टीकम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी जगरामपुरा तहसील महवा जिला दौसा।

... अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 10.01.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम टीकम मु०नं० 93/2019 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 25.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा ने दिनांक 10.01.2020 को ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.25 है० पर सरसों की काश्तकर अतिचार करने पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का गाजीपुर ने अपीलांत के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांत ने ग्राम जगरामपुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.25 है० पर सरसों की काश्तकर अतिचार किया है। जिस पर अपीलांत को जवाब व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुए बिना और पटवारी से जिरह का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट

h

धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बावजूद नोटिस तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है परन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 90 की अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष सेमारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष सेमारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

